भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 285
दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ

तमिलनाडु में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

†285. श्री मलैयारासन डीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की विशेषताएं, इसके उद्देश्य और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाए गए मुख्य घटक क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु में, विशेषकर कल्लाकुरिची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक इस योजना के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं:
(ग) तमिलनाडु में, विशेषकर कल्लाकुरिची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आरजीएसए के लिए कुल कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा आरजीएसए के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अन्य पहलों के माध्यम से पंचायत सदस्यों और अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड) तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर शासन, अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार पर आरजीएसए का क्या प्रभाव है; और

(च) आरजीएसए का दायरा बढ़ाने के लिए भावी योजनाएं क्या हैं, जिनमें अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल करना और जमीनी स्तर पर सेवाओं तथा अवसंरचना को बेहतर बनाना शामिल है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के प्रमुख उद्देश्य/विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) ग्राम पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व भूमिकाओं के लिए पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकसित करना;

(ii) पंचायत प्रणाली में लोगों की भागीदारी के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना।

(iii) पंचायत प्रशासनिक कार्य दक्षता में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ बेहतर सेवा डिलीवरी के लिए दूसरे तकनीकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना

(iv) संविधान और पेसा अधिनियम 1996 आदि की भावना के अनुसार पंचायतों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना।

संशोधित योजना के अंतर्गत, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को विभिन्न श्रेणियों अर्थात बुनियादी अभिविन्यास, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण, आदि के तहत सहायता की जाती है। विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा, यह योजना एक्सपोजर विजिट, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री तैयार करने आदि के लिए भी सहायता करती है। इसके अलावा, यह योजना सीमित पैमाने पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत प्रणाली बनाने और ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवन में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के सह-स्थापन जैसे अवसंरचना के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

(ख) से (घ) यह योजना तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व भूमिकाओं में उनकी शासन क्षमताओं को विकसित किया जा सके। संशोधित योजना के तहत, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हे विभिन्न श्रेणियों जैसे बुनियादी प्रबोधन, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि प्रदान करना है। विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा, योजना एक्सपोजर विजिट प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री आदि के विकास के लिए भी सहायता करती है। इसके अलावा, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत उत्कृष्टता संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल भी की गई है। मंत्रालय विभिन्न विषयों पर कार्यशाला भी आयोजित करता है और क्रॉस स्टेट लर्निंग के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है।

योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से, (दिनांक 25.11.2025 तक) तमिलनाडु राज्य को 90.42 करोड़ रुपये (केंद्रीय और राज्य हिस्सेदारी) की राशि जारी की गई है, जिसमें से 127.86 करोड़ रुपये आरजीएसए के अनुमोदित घटकों के लिए उपयोग किए गए है। जिसमें पंचायत स्तर पर शासन में सुधार के लिए क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। निधियों के उपयोग में पिछले वर्षों का अव्ययित शेष शामिल है। जैसा कि तमिलनाडु राज्य द्वारा रिपोर्ट की गई है, राज्य में आरजीएसए की योजना के तहत कुल 12,482 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं, जिसमें कल्लाकुरिची लोकसभा क्षेत्र में 461 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

(ड) और (च) मंत्रालय डिजिटल शासन को मजबूत करने के लिए संशोधित आरजीएसए को लागू कर रहा है, और भविष्य में, मौजूदा प्लेटफार्मों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर करने, नागरिक-केंद्रित सेवा मॉड्यूल का विस्तार करने और आवश्यक सेवाओं की अधिक कुशल योजना, निगरानी और वितरण में सहायता करने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर ध्यान दिया जाएगा ।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित योजना के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने पंचायतों की ई-गवर्नेंस क्षमताओं को बढ़ाने, बेहतर सेवा डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही और पंचायत शासन में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में सहायता की। यह ई-ग्रामस्वराज जैसी पहलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो पंचायतों को अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को ऑनलाइन तैयार करने और अपलोड करने में सक्षम बनाता है, और सुव्यवस्थित वित्तीय लेनदेन और पारदर्शी खरीद के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकरण करता है।

ई-ग्रामस्वराज विकासात्मक गतिविधियों और वित्तीय खर्चों की वास्तविक समय की ट्रैकिंग के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर पंचायतों में किए गए कार्यों की निगरानी में अत्यधिक लाभदायक है। यह कार्य -आधारित लेखांकन को सरल बनाता है, सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत करता है, और परिसंपत्तियों की भू-टैगिंग सहित परियोजनाओं की व्यापक निगरानी की अनुमति देता है।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लीकेशनों ने पंचायत में योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी जनता के लिए सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' का एक एप्लीकेशन विकसित किया गया है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के धनराशि के उपयोग की पारदर्शी लेखापरीक्षा के लिए (अप्रैल 2020 में) ऑनलाइन लेखा परीक्षा शुरू की गई। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु में पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज का अंगीकरण आरजीएसए के प्रभाव को दर्शाता है।

2024-25 के दौरान तमिलनाडु में पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अंगीकार करना

क्र सं	**मापदंड**	संख्या
1	ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	12,525*
2	शामिल की गई ग्राम पंचायतें **ई-ग्रामस्वराज में**	12,525
3	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायते और समकक्ष	12,520
4	अनुमोदित जीपीडीपी के साथ पंचायतों की कुल संख्या	12,500
5	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	388
6	शामिल की गई ब्लॉक पंचायतें **ई-ग्रामस्वराज में**	388
7	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	388
8	अनुमोदित जीपीडीपी के साथ ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	388
9	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	36
10	शामिल की गई जिला पंचायतें **ई-ग्रामस्वराज में**	36
11	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें	36
12	अनुमोदित जीपीडीपी के साथ जिला पंचायतों की कुल संख्या	36

*डेटा वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित है।

****